संगठन है और न कोई राजनीतिक संरक्षण है और न ही कोई सरकार का संरक्षण है। वोट तो उनके पास भी है और दुःख का इलाज वोट है, ऐसा हमारा संविधान कहता है लेकिन वोट के रहते हुए भी इस देश में जो रोज के मजदूर हैं, जो नित्य के लिए मजदूर है उनके लिए कोई संरक्षण नहीं है। इसका एक कारण यह है कि उनका अपना कोई संगठन नहीं है। पिछले तीस साल की सरकार का कोढ़ इन रोजाना के मजदूरों के शरीरों को जोंक की तरह से खाता रहा। दिखावे के लिए एक छोटा सा कानून भी बनाया गया लेकिन इस तरह के रोजाना के मजदूर जो एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाते हैं वे एक किस्म के बंधुवा मजदूर हैं। ऐसे मजदूरों के बारे में आपने नियम 377 के अन्तर्गत मुझे यहां पर आवाज उठाने की इजाजत दी, मैं चाहता तो यह था कि कालिंग अटेंशन के तौर पर इसे यहां पर उठाने की आप इजाजत देते ताकि मन्त्री इसका यहां पर जवाब देते। आज यहां पर उन बेचारे बेसहारा मजदूरों के बारे में कोई मन्त्री जवाब नहीं देगा। मैं चाहूंगा कि कम से कम इस सदन में जो आवाज उठी है वह पंजाब सरकार, भटिण्डा कार्पोरेशन में भी, ऐसे ठेकेदार की अपने स्वार्थ के लिए इंसानी जिन्दगी से खिलवाड़ करते हैं. उनके खिलाफ़ आवाज उठनी चाहिए—इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो यह है कि जिनका कोई सहारा नहीं, जो दीन और दुःखी हैं उनकी आवाज किस प्रकार से उठे। मैं चाहूंगा कि ऐसी मौतों के वास्ते एक कमेटी मुकर्रर की जाये जो कि, एक साल में किस तरह में कितने मजदूर मरे, इसके आंकड़े पेश करे और इसके लिए कोई इलाज बतावे। मैं इस प्रकार में सैकड़ों मरने वाले मजदूरों को तमस्तक नमस्कार करने के और कुछ नहीं कर सकता। में आशा करता हूं कि एक दिन ऐसा आयेगा जब यह सदन इतना सजग हो जायेगा कि यदि इस तरह से किसी भी लावारिस मजदूर की मौत होगी तो देश में भूचाल सा आ जायेगा और इस प्रकार की मौतों को रोकने का कोई प्रबन्ध कर सकेगा। केवल इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

(iv) Repted famine Conditions in Darbhanga and Madhubani Districts of Bihar

श्री हुक्म देव नारायण यादव (मधुबनी): उपाध्यक्ष महोदय, 28 जुलाई, 1977 को मैंने इस सवाल को इस सदन में उठाया था। मेरा प्रश्न यह था कि उत्तर बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले बराबर बाढ़ और अकाल से पीड़ित रहते हैं। इस साल बाढ़ तो नहीं आई, लेकिन सुखाड़ के कारण वहां अतिभयंकर स्थिति पैदा हो गई है। मधुबनी जिले के 21 प्रखण्डों में से लगभग 18 प्रखण्डों की हालत इतनी विचित्र है कि पोखरों में पानी नहीं है, ताकि जानवर पानी पी सकें। जब अभी से यह हालत है तो गर्मी के मौसम में तो किसी भी पोखर या तालाब में पानी नहीं रहेगा, कुंए सूख जायेंगे, आदमियों को पानी नहीं मिलेगा, जानवरों को पानी नहीं मिलेगा और लोगों को गांव छोड़ कर भागना पड़ेगा या बिना पानी मरना पड़ेगा।

हालत इतनी ही खराब नहीं है, वहां पर धान फसल, जो कि उस क्षेत्र की मुख्य खेती है, बिल्कुल मारी गई है। पिछले नवम्बर में थोड़ा सा पानी हथिया में पड़ गया था, लोगों ने गहूं की खेती की थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दिसम्बर के अन्त में और जनवरी के प्रारम्भ में इतना ज्यादा पानी वहां पर बरस गया, कि जितनी भी गेहूं की खेती वहां पर लगी हुई थी सब मारी गई और इतना पानी लग गया है कि अब फिर गेहूं की खेती नहीं हो सकेगी। खरीफ़ की फसल मारी गई, रबी की फसल की सम्भावना नहीं है, भदोही की फसल इसलिये नहीं हुई कि पानी नहीं था।

उस समय मैंने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया था कि वहां पर एक दल भेजा जाय, जो इस बात की जांच करे। भारत सरकार

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

की ओर से बिहार सरकार को यह पत्र दिया गया था कि "फूड फार-वर्क" योजना के अन्तर्गत बिहार सरकार जितना काम करावेगी, भारत सरकार उतना गल्ला देगी, लेकिन भारत सरकार की ओर से बिहार सरकार को उस मद में कोई गल्ला नहीं दिया गया । यह ऐसी योजना थी जिस में मजदूरों को काम के लिये दाम के रूप में गल्ला दिया जाना था । इस योजना से मजदूरों को काम मिलता, ग्रामीण सड़कों का निर्माण होता । बिहार सरकार के बार-बार आग्रह करने पर भी भारत सरकार ने इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया । यदि केन्द्रीय सरकार इस तरफ़ ध्यान देती तो गरीबों को काम मिल जाता, किसानों को जो अन्न और पानी के बिना मर रहे थे, उनको अन्न मिल जाता और ग्रामीण सड़कों में सुधार हो जाता । लेकिन मुझे दुख है कि भारत सरकार के जरिये इस काम को पूरा नहीं किया गया ।

बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि वह स्वयं इस योजना को नहीं चला सकती । वित्तीय स्थिति खराब होने का कारण यह है कि केन्द्र के जरिये जितनी मदद उसको मिलनी चाहिये थी, आज तक उसको नहीं दी गई । दूसरे-पिछले तीन सालों में जो भ्रष्ट प्रशासन वहां रहा, उसके चलते जो-बद-इन्तजामी और लूट-खसोट वहां चली, उसने भी बिहार की हालत को खराब कर दिया और वह वहां के अकाल-पीड़ित और सुखाड़-पीड़ित लोगों को कोई राहत नहीं दे सकी और न दे सकती है, जब तक केन्द्र इस मामले में मदद न करे । इसलिये मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मानव की रक्षा के लिये, वहां के जानवरों की रक्षा के लिये, इन्सानियत की रक्षा के लिये, आप उदार हृदय होकर ज्यादा से ज्यादा सहायता दें । एक बात और कहना चाहता हूं—ऐसी विषम परिस्थिति में भी वहां पर कर्ज की वसूली मुस्तैदी के साथ हो रही है, उन लोगों से मालगुजारी वसूल की जा रही है, उनका लोटा, थाली, जानवर सब कुड़क किये जा रहे हैं । किसान बिल्कुल तबाह हो गया है, ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब वहां के किसान सरकार के खिलाफ़ भयंकर विद्रोह और बगावत कर दें । मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति वहां पैदा न होने दी जाय और केन्द्र सरकार जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे ।

(v) Alleged Transfer of 10-11 Million Dollars to a Swiss Bank

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Sir, under Rule 377, I would like to draw the attention of the Government to a matter which has grave public importance. Sometime ago during the previous regime, the Ministry of External Affairs had asked an agency of the Government to assist and arrange for the deposit of an amount of 10 to 11 million dollars in a Swiss Bank (probably Union Bank of Switzerland, Geneva) in a numbered account. The order was issued in two instalments, by two Secretaries of the Ministry of External Affairs. The money was released by the Reserve Bank of India, Bombay to be deposited in Geneva. Mr. Luther, the then Deputy Governor of R.B.I. was asked to handle the case.

When this Government took overin March last, this strange transaction must have been brought to its notice. So, it must be in a position now to clarify the position regarding it.

One fails to understand why was the Ministry of External Affairs involved in such a transaction. If this was part of a commercial deal, it should have been dealt with by a specific company either in the public sector or in the private sector and not by a department of the Government, much less the Ministry of External Affairs.

Or, if it was part of an aid there could be no question of any commission. In the case of a transaction on